

**न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), बीकानेर**  
पीठासीन अधिकारी:- श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस

एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र नम्बर मुकदमा 15/2017

अनवान :-

श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

प्रार्थी

-: बनाम :-

1. श्री रघुराम पुत्र भूराराम ब्राह्मण रानी बाजार बीकानेर(मालिक) मैसर्स गणेश जनरल स्टोर रानीबाजार बीकानेर
2. श्री जुगल पुत्र श्री रघुराम जाति ब्राह्मण(विक्रेता) मैसर्स गणेश जनरल स्टोर रानीबाजार बीकानेर
3. श्री वेद प्रकाश पुत्र हरीकिशन मैसर्स गौतम एजेन्सी गजनेर रोड़, बीकानेर
4. श्री पुष्पेन्द्र गोड नोमिनी मैसर्स स्पेक्ट्रम फूड्स लि. एल-6 बी- 11 कृष्णा मार्ग सी-स्कीम जयपुर(राज.) निवासी- विवेकानन्द कॉलोनी तहसील मार्ग मउवा जिला दोसा राजस्थान
5. मैसर्स स्पेक्ट्रम फूड्स लि. एल-6 बी- 11 कृष्णा मार्ग सी-स्कीम जयपुर(राज.)

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी स्टेट की ओर से - श्री महमूद अली खा.सु.अ.
2. अप्रार्थी 1 ता 3 - अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 4 - इकतरफा
4. अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से - श्री विजय कुमार पारीक अधिवक्ता

-: निर्णय :-

दिनांक 24.06.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हे कि प्रार्थी श्री गोपालकृष्ण शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 09.05.2016 को अप्रार्थीपक्ष मैसर्स गणेश जनरल स्टोर रानी बाजार बीकानेर पर आम जन बिक्री हेतु पोली पैक एक किग्रा के करीब 100 नग आयोडाइज्ड नमक (सूर्या) रखा था। जिसका बैच संख्या 10 पैकिंग दिनांक 10/2015 तथा उत्पादन स्थल स्पेक्ट्रम फूड्स लिमि. बड़ी ढाणी भरतसर रोड नं. एनएच 15 तहसील फलोदी जिला जोधपुर राजस्थान अंकित था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त पैकड आयोडाइज्ड नमक (सूर्या) में से प्रत्येक एक किग्रा के 4 पैकेट जिसकी कुल कीमत 60/- रुपये में नगद खरीद कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वयं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। तदन्तर प्राप्त नमूना आयोडाइज्ड नमक (सूर्या) पर लैबल तैयार कर उस पर विक्रेता,गवाहान एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये तथा चारों पर एक-एक लेबल फार्म गोंद से चिपकाया व प्रत्येक शीशी पर मोटा मजबूत खाकी कॉगज लपेट कर गोंद चिपका कर प्रत्येक पैकड नमूना पर डीओ/सीएमएचओ द्वारा जारी पेपर स्लिप जे- 1129 हस्ताक्षरित थी को बोटम टू टोप प्रक्रिया द्वारा गोंद से चिपकाया तथा नियमानुसार प्रत्येक शीशी को सील चपड़ी कर प्रत्येक को पेपर स्लिप को गोंद से चिपकाया जिस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं प्रार्थी ने किये। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे पढ़कर, पढ़ाकर समझा कर विक्रेता,गवाह एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। उक्त सीलड नमूना भाग में से एक सीलबन्द नमूना भाग मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य



॥  
अति. जिला कलक्टर  
(प्रशासन), बीकानेर।

विश्लेषक, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से दिनांक 02.06.2016 को जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें आयोडाइज्ड नमक (सूर्या) सबस्टेण्डर्ड स्तर का पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड आयोडाइज्ड नमक (सूर्या) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शक्ति से दण्डित किया जावे।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 स्वयं उपस्थित आकर जवाब प्रस्तुत किया। तथा अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से श्री विजय पारीक एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 4 बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का जवाब है कि अप्रार्थी की दुकान मै. गणेश जन स्टोर रानी बाजार में है। दुकान का फूड लाईसेंस नं. 222130170738 जो दिनांक 02.04.2019 तक के लिये वैध था जिसका रिन्यूवल हेतु आवेदन किया हुआ है। नया रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल फार्म 18. 5.2018 से 5 वर्ष के लिये बना है। जिसका नया फूड लाईसेंस नं. 30180518144942340(फूड लाईसेंस रघुराम पुत्र भूराराम का है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सूर्या नमक 1 किलो में पैकड जांच हेतु नमूने लिये थे। उक्त सूर्या नमक का निर्माता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 नहीं है केवल विक्रेता है। सूर्या नमक गौतम एजेन्सीज बीकानेर (प्रो. वेदप्रकाश) से जरिये बिल संख्या 221/06.03.2016 को खरीदा है। वह अमानक स्तर का था यह अप्रार्थी की जानकारी में नहीं था, अगर जानकारी में होता तो वह सूर्या नमक पोली पैकड कट्टे क्रय नहीं करता। गौतम एजेन्सी को निर्माता कम्पनी साबू सोडियम क्लोरो लि. जयपुर से पैकड कट्टों में प्राप्त हुआ था।

4. अप्रार्थी संख्या 3 का जवाब है कि सूर्या नमक 1 किलो प्रोली पैक का नमूने जांच हेतु लिये गये है, का निर्माता प्रो. गौतम एजेन्सीज नहीं है। उक्त पोली पैक सूर्या नमक निर्माता कम्पनी से इनवाईस नं. 01587 दिनांक 18.03.2015 साबू सोडियम क्लोरो लि. निर्माता-जयपुर जिसका बैच संख्या 10 पैकिंग दिनांक 10.10.15 थी, पैकड कट्टों में खरीदा था, जो सब-स्टेण्डर्ड था। जिसकी जानकारी अप्रार्थी को नहीं थी। जानकारी न होने की गलती को माफ करने की कृपा फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 5 का जवाब है कि प्रार्थी फूड इन्सपेक्टर ने उक्त प्रकरण में एफएसएस एक्ट के 2006 नियम 11 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना बिना किये ही न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर दिया है, जो काबिल खारिज है। एक्ट में दिये गये अधिकार(नमूने की पुनः जांच का अधिकार) के बाबत अप्रार्थी को प्रार्थी ने कभी कोई सूचना नहीं दी इससे अप्रार्थी के पुनः जांच का अधिकार खत्म हो गया। पदार्थ की नमूना रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि उक्त नमूने का खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नहीं है, नमक जैसे पदार्थ का एक स्थान से व एक जलवायु, वातावरण से अन्य स्थान व अन्य जलवायु में स्थानान्तरित हो जाने पर मामूली अन्तर आना स्वभाविक है। अतः अप्रार्थी के प्रति नरमी का रुख अपनाते हुये पत्रावली फौसल शुमार के आदेश प्रदान फरमावें।



॥  
अति. जिला कलेक्टर  
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

7. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से आयोडाइज्ड नमक (सूर्या) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक LS.1226/ACT/2016/2049 Date 02-06-206 के अनुसार Iodine content on dry weight basis- Iodine content-1 Not less than 30 ppm. at manufacture level, 2- Not less than 15 ppm at distribution channel including retail level. की तुलना में 4-2 parts per million पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां आयोडाइज्ड नमक (सूर्या) सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। प्रार्थी निरीक्षक का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

8. अप्रार्थी संख्या 5 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे बहस में कथन किया कि प्रार्थी फूड इन्सपैक्टर ने उक्त प्रकरण में एफएसएस एक्ट के 2006 नियम 11 की पालना बिना किये ही न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर दिया है। नमूने की पुनः जांच का अधिकार के बाबत अप्रार्थी को प्रार्थी ने कभी कोई सूचना नहीं दी इससे अप्रार्थी के पुनः जांच का अधिकार खत्म हो गया। उक्त नमूने का खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नहीं है, नमक जैसे पदार्थ का एक स्थान से व एक जलवायु, वातावरण से अन्य स्थान व अन्य जलवायु में स्थानान्तरित हो जाने पर मामूली अन्तर आना स्वभाविक है। अतः अप्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाने हुये पत्रावली फैसल शुमार के आदेश प्रदान फरमावे।

9. इसके खण्डन में स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि निरीक्षण कार्य 09.05.2016 को 2.30 पीएम अप्रार्थी स्थल पर किया गया था जहां वरवक्त निरीक्षण पोली पैक एक किग्रा के करीब 100 नग आयोडाइज्ड नमक(सूर्या) आमजन के विक्रय हेतु रखा गया था। इस आयोडाइज्ड नमक(सूर्या) का नमूना लेने हेतु अप्रार्थी पक्ष के सामने प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पूर्ण पालना की गई अर्थात नमूना गवाहान की उपस्थिति में लिया गया। उक्त नमूना पैकेट जो प्रत्येक एक किग्रा आयोडाइज्ड नमक(सूर्या) के चार पैकेट लिया गया जिसकी कुल कीमत 60/- रुपये का भुगतान कर अप्रार्थी विक्रेता से खरीद रसीद प्राप्त किया गया था। प्राप्त आयोडाइज्ड नमक(सूर्या) का नमूना चार भागों में विक्रेता व गवाह के सामने नियमानुसार पृथक-पृथक सील्ड मोहर किया जाकर गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये थे। निरीक्षण स्थल पर ही मुआयना रिपोर्ट तैयार की गई विभागीय प्रतिनिधि का यह भी तर्क है कि नमूना केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को नियमानुसार वास्ते जांच हेतु भिजवाया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः जांच करवाने के संबंध अप्रार्थीपक्ष को नियमानुसार सूचित किया गया था। लेकिन अप्रार्थी द्वारा पुनः जांच हेतु आवेदन नहीं किया। जांच रिपोर्ट में आयोडाइज्ड नमक(सूर्या) सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। जो मानव उपयोग के लिये हानिकारक है। इसलिए अप्रार्थीपक्ष को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित किये जाने की इस्तदुआ की गई।



10. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह निर्विवाद है कि दिनांक 09.05.2016 को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी पक्ष के यहां वरवक्त निरीक्षण एक किग्रा आयोडाइज्ड नमक(सूर्या) के करीब 100 पैकेट मिलना भी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है। जहां तक अप्रार्थी पक्ष का यह कथन की निरीक्षण के द्वारा नमूने लिये जाने के समय प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की एवं एफएसएस एक्ट पूर्ण पालना नहीं की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अप्रार्थी का यह तर्क मान्य नहीं है। वरवक्त निरीक्षण नमूने लिये जाते समय एफएसएस एक्ट एवं प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पूर्ण पालना निरीक्षण प्रार्थी द्वारा की गई है। नमूने अप्रार्थी एवं गवाह की उपस्थिति में लिये गये है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक LS.1226/ACT/2016/2049 Date 02-06-2016 के अनुसार Iodine content on dry weight basis- Iodine content-1 Not less than 30 ppm. at manufacture level, 2- Not less than 15 ppm at distribution channel including retail level. की तुलना में 4-2 parts per million पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां आयोडाइज्ड नमक (सूर्या) सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। वरवक्त निरीक्षण मिला आयोडाइज्ड नमक (सूर्या) मानव उपयोग के लिये हानिकारक है, जो की एफएसएस की धारा 26(2)II के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।

11. लिहाजा अप्रार्थी द्वारा आयोडाइज्ड नमक (सूर्या) सबस्टेण्डर्ड विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2) (II) का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(II) के अपराध की श्रेणी में आता है जो शास्ति अधिरोपित का दायी है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत रुपये 35,000/- अखरे पैंतीस हजार रुपये की शास्ति आरोपित करते है।

12. उक्त शास्ति अप्रार्थीगण को अनुपातिक दायित्व/कर्तव्यों का आंकलन किया जाकर आनुपातिक रूप से निम्नानुसार शास्ति अधिरोपण का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

13. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(II) का अपराध मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण करने वाले निर्माता के स्तर पर ही सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विनिर्माण एवं पैकिंग किया जाता है। अतः आनुपातिक रूप से सर्वाधिक दायित्व एवं दोष विनिर्माता अप्रार्थी संख्या 4 व 5 का ही परिलक्षित होता है। अतः आरोपित शास्ति राशि में से रुपये 20,000/- अखरे बीस हजार रुपये के लिए अप्रार्थी संख्या 4 व 5 को दायी घोषित किया जाता है।

14. मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु वितरण एवं विक्रय हेतु प्राप्त की जाने वाली सामग्री में वितरक एवं विक्रेताओं का भी यह दायित्व होता है कि वे किसी भी खाद्य पदार्थ का वितरण एवं विक्रय मानक सामग्री एवं सही ब्राण्ड की सामग्री की जांच पड़ताल उपरान्त ही करें परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 विक्रेता एवं वितरक द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली खाद्य सामग्री आयोडाइज्ड नमक (सूर्या)



श्री. प्रिं. कलक्टर  
(अज्ञासन), बीकानेर

सबरस्टैण्डर्ड का विक्रय/वितरण किया जिसके लिये वे भी समान रूप से धारा 26 (2) (ii) में दोषी है। अतः आनुपातिक रूप से आरोपित शास्ति में से अप्रार्थी संख्या 4 व 5 विनिर्माता की शास्ति को घटाने के पश्चात शेष आरोपित शास्ति राशि रू. 15,000/- अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 विक्रेता/वितरक समान रूप से भरने हेतु दायी होंगे।

5. इस प्रकार कुल आरोपित 35,000/- रूपये की शास्ति में से 20,000/- रूपये अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की शास्ति राशि प्रत्येक 10-10 हजार रूपये (विनिर्माता) एवं शेष आरोपित राशि रू. 15,000/- अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 विक्रेता/वितरक प्रत्येक 5-5 हजार रूपये की शास्ति अदा करेंगे।

16. इसके साथ-साथ अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1958 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

17. निर्णय आज दिनांक 24.8.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को जरिये रजिस्टर्ड डाक एवं अप्रार्थी सं. 5 के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

( ए.एच.गौरी )

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति. जिला कलेक्टर (अ.स.बी.बी.कानेर)  
(अ.स.बी.बी.कानेर)